पत्रांक– कारा/बजट (के0) 01–03/2016...119...

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
केन्द्रीय कारा, गया।

पटना, दिनांक:–...17..../....3..../ 2017

विषयः– **मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु किराया, महसूल एवं कर मद में निकासी हेतु ₹22,50,000 (बाईस लाख पचास हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

विपत्र कोड–N2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17/बी0एस0जी0–18/2016–423/वि0 दिनांक–31.03.2016, पत्रांक–एम0–4–09/2014–4572/वि0 दिनांक–03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या–2561/वि0 (2) दिनांक–17.04.98 तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया के पत्रांक–1005 दिनांक–05.03.2017 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में तथा अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर के पत्रांक–158 दिनांक–17.01.2017 द्वारा 14 01 किराया, महसूल एवं कर मद में प्रत्यर्पित राशि ₹3,75,448 (तीन लाख पचहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस रूपये मात्र) का प्रत्यर्पण स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु निम्नांकित रूप से 14 01 किराया, महसूल एवं कर मद में अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र	कारा का नाम	कुट एवं मद का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	राशि (शब्दों में)
1	केन्द्रीय कारा, गया	14 01 किराया, महसूल एवं कर	20000	2250000	2270000	बाईस लाख सत्तर हजार रूपये मात्र।
कुल योग			**20000**	**2250000**	**2270000**	**बाईस लाख सत्तर हजार रूपये मात्र।**

(बाईस लाख पचास हजार रूपये मात्र)

2. उक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल (विपत्र कोड–N2056001010001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि के अन्तर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनिमेष कुमार   मो. जमालुद्दीन अंसारी   राम प्रति सिंह
स0पदा0   उप निदेशक (बजट)

E:\SYS. 1\JAIL 1\ALLOTMENT AND EXPENDITURE\2016-17\CJ\CJ\contigency\Budget 16-17 CJ Com. Add 16.03.2017.doc